

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक:- प.4(72)वित्त/राजस्व/94-लूज

दिनांक: 9 APR 2023

आदेश

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर दिनांक 01 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है।

इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2023-24 (दिनांक 1.05.2023 से 30.04.2024 तक की अवधि) के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त किये जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा।

| क्र.सं. | बीमा धन | कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती |
|---------|---------|-----------------------------------|
| 1.      | 10 लाख  | 700/-                             |
| 2.      | 20 लाख  | 1400/-                            |
| 3.      | 30 लाख  | 2100/-                            |

इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माह अप्रैल देय मई, 2023 के वेतन से अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त तालिका में उल्लेखित बीमाधन हेतु चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से पे-मैनेजर पोर्टल/पीआरआई पे-मैनेजर पोर्टल/एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।
3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है।
4. जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है एवं न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है (उपरोक्त तालिका के श्रेणी 1 से 3 तक में से किसी भी एक का चयन करने की स्थिति में), उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा दिये गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित

करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।

5. ऐसे कार्मिक उपर्युक्तानुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौति नहीं कराना चाहते हैं, तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी, ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमाधन के लाभ देय होंगे।
6. किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किये जाने तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिये जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जायेगी उनके द्वारा भी बीमित वर्ष में अधिक बीमाधन हेतु प्रीमियम की अन्तर राशि की कटौती भी नहीं करायी जा सकेगी।
7. दिनांक 01.05.2023 के बाद नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनिज पर भी उक्त योजना लागू होगी तथा श्रेणी 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2023-24 हेतु देय प्रीमियम की राशि आई.आर.डी.ए.आई. नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस पर काटी जायेगी।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की किसी भी राज्य कर्मचारी/अधिकारी के माह अप्रैल 2023 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का माह अप्रैल, 2023 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि (उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार) एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2023 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेगें।
9. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।

इस संबंध में प्रक्रियागत विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,



(धनलाल शेरवत)

संयुक्त शासन सचिव

19/4/23

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त जिला कलक्टर।
10. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
11. समस्त कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी।
12. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
13. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग)।
14. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव 19/4/23

